न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 201/2024(GCMS : 2024/292)

1. **सुदांशु पुत्र श्री अजय नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता ममता** पत्नी अजय जाति जाट निवासी गांव 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), पदमपुर**
2. **अजय पुत्र निराणाराम** जाति जाट निवासी 83 एलएनपी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.11.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए आरटीए एक्ट विचाराधीन प्रकरण संख्या /2021 अनवानी सुदांशु बनाम अजय में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया था, अब प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, अर्थात नॉट प्रैस करना चाहते है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या /2021 अनवानी सुदांशु बनाम अजय अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि प्रार्थी के अधिवक्ता इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता इस पत्रावली को नोट प्रैस करना चाहते है। परिणामस्वरूप पत्रावली की फर्दअहकाम पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नॉटप्रैस अंकित किया हुआ है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर